

अधिकारी हूँ इसलिए प्रथम दृष्टया मामला वाद मुझ वादी के हक में बनना पाया जाता है। वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं० 1 के नाम तहसील पदमपुर के चक 49 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता सं० 26/25 के मुरबा नं० 49 में 0.976 है० नहरी, मुरबा नं० 50 में 1.471 है० नहरी व मुरबा नं० 59 में 2.543 है० नहरी कुल 4.990 है० नहरी भूमि में से मुझ वादी को मुरबा नं० 59 के किला नं० 2 ता 4 सालम, 5/1 में 0.240 है०, किला नं० 6/1 में 0.241 है०, 7 ता 10 सालम, 16/2 में 0.013 है०, 25/2 में 0.025 है० कुल 2.290 है० नहरी भूमि का खातेदार मालिक घोषित कर रकबा अलग से किलेवाईज दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल किया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की ओर से पेश वाद पत्र को वाद पत्र अनुसार डिक्री किया जाता है, तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नहीं है। तहसील पदमपुर के चक 49 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता सं० 26/25 के मुरबा नं० 49 में 0.976 है० नहरी मुरबा नं० 50 में 1.471 है० नहरी, मुरबा नं० 59 में 2.543 है० कुल 4.990 है० नहरी भूमि में से वादी विकास को मुरबा नं० 59 के किला नं० 2 ता 4 सालम, 5/1 में 0.240 है०, 6/1 में 0.241 है०, 7 ता 10 सालम, 16/2 में 0.013 है०, 25/2 में 0.025 है० कुल 2.290 है० नहरी भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जावें। राजीनामा अनुसार डिक्री फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर वादगत भूमि तहसील पदमपुर के चक 49 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता सं० 26/25 के मुरबा नं० 49 में 0.976 है० नहरी मुरबा नं० 50 में 1.471 है० नहरी, मुरबा नं० 59 में 2.543 है० कुल 4.990 है० नहरी भूमि में से वादी विकास पुत्र कालूराम उर्फ हसंराज जाति जाट को मुरबा नं० 59 के किला नं० 2 ता 4 सालम, 5/1 में 0.240 है०, 6/1



20/11/2023  
राजेश कुमार  
जिला अधिकारी

